अपील भरण पोषण संख्या 176/2015 माडूराम पुत्र अमर सिंह जाति कुम्हार निवासी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर वर्तमान निवासी रावला मण्डी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर बनाम 1–ओमप्रकाश पुत्र माडूराम जाति कुम्हार निवासी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर 2–सुनीलकुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति कुम्हार निवासी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

07.11.2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी माडूराम व रेस्पो0 ओमप्रकाश व सुनील कुमार को बार बार आवाज लगवाई गई किन्तु वे उपस्थित नही आए। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी माडूराम ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रा0 पत्र दिनांक 15.09.2015 धारा 23 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत प्रस्तुत करके प्रार्थना की थी कि वह एक 80 वर्षीय वृद्ध एवं वरिष्ठ नागरिक है जिसके नाम से एक मकान वाके साधुवाली तहसील श्रीगंगानगर में पैमाईशी 21 गुणा 43 फुट 6 ईन्च पश्चिम दिशा में खुलता हुआ जिसमें तीन कमरे व अन्य निर्माण किया हुआ है जो उसे उसके पिता अमरसिंह पुत्र नंद सिंह से जरिये वसीयत 17.08.88 से मिला हुआ है जो कि अहाता संख्या 482 है। उसके पिता अमर सिंह की मृत्यु दिनांक 15.03.93 को हो चुकी है इसलिए वह उक्त अहाता का पूर्ण मालिक है किन्तु इस अहाता पर अप्रार्थी सं0 1 ओमप्रकाश जो कि उसका पुत्र है और अप्रार्थी सं0 2 सुनील कुमार जो कि उसका पोता है ने दो साल से अवैद्य कब्जा कर लिया है। अतः अप्रार्थीयान के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करते हुए पुलिस सहायता से मकान का कब्जा दिलाया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर ने पक्षकारो की सुनवाई कर निर्णय दिनांक 20.10.2015 के द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज दिया गया जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने यह अपील अन्तर्गत धारा 16 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत इस न्यायालय में दिनांक 24.11.2015 को रेस्पो0 सं0 1–ओमप्रकाश व 2–सुनील कुमार के विरूद्ध पेश की है।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी ने अपने अपीलपत्र में निम्न राहत चाही है:–

> अपील स्वीकार की जाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्त करने अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 23 स्वीकार करने तथा कब्जा दिलाने का आदेश फरमाया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपने आदेश दिनांक 20.10.2015 में निम्न प्रकार से आदेश पारित किया है:–

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

आज हमने प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को सुना गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं जबाब का अवलोकन किया। प्रार्थी के नाम से 47.07 बीघा भूमि की सनद संख्या 047306 दिनांक 26.05.1993 जारी शुदा है। प्रार्थी जो अहाता संख्या 482 चाहता है वह वसीयत से मिलना बताया है। परन्तु यह अहाता अभी तक प्रार्थी के नाम से होने के संबंध में कोई दस्तावेजी सबूत पेश नही किया है। इस अहाता के संबंध में माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश श्रीगंगानगर में अनवानी सुमित्रादेवी बनाम ओमप्रकाश आदि प्रकरण संख्या 2082/10 विचाराधीन चल रहा है। जब तक सक्षम न्यायालय से अहाता के संबंध में कोई निर्णय नही हो जाता है तब तक इस न्यायालय से प्रार्थी को अहाता संख्या 482 का कब्जा अप्रार्थीगण से दिलाया जाना सम्भव नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर एवं थानाधिकारी पुलिस थाना पुरानी आबादी श्रीगंगानगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

अपीलार्थी की अपील पत्र में प्रार्थना है कि रेस्पो0 सं0 1 ओमप्रकाश उसका पुत्र है व रेस्पो0 2 सुनीलकुमार उसका पोता है अपीलार्थी के पक्ष में उक्त विवादग्रस्त अहाता की रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 17.08.88 है जो उपपंजियक श्रीगंगानगर से रजिस्टर्ड है जिसे किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया गया है। जिस सुमित्रा देवी के वाद का हवाला देकर उपखण्ड अधिकारी ने आदेश पारित किया है उस वादपत्र की प्रति भी अधीनस्थ न्यायालय में पेश नही हुई है केवल क्यास के आधार पर ही निर्णय किया गया है और सुमित्रा देवी अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार भी नही थी इसलिए उक्त निर्णय सही नही है जो खारिज किया जावे। इसलिए उसकी अपील स्वीकार की जाकर रेस्पो0 सं0 1 व 2 के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करते हुए उन्हे उक्त अहाता से बेदखल किये जाने का आदेश दिया जावे।

रेस्पो0 सं0 1 व 2 ने अपने लिखित जबाब में कथन किया है कि विवादित प्लाट पैतृक सम्पति है और इस पर अमर सिंह द्वारा की गई वसीयत दिनांक 17.08.88 उनके हक व अधिकारो पर बेअसर है और अभी तक उक्त अहाता पर कोई हक व अधिकार प्राप्त नही हुए है और उक्त अहाता अमर सिंह के नाम से ही है और उक्त अहाता के संबंध में सिविल न्यायालय में वाद भी विचाराधीन है। चूंकि मामला सिविल प्रकृति का है। इसलिए उपखण्ड पधिकारी श्रीगंगानगर ने अपने आदेश द्वारा अपीलार्थी का आवेदन पर सही रूप से खारिज किया है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा उक्त अहाता के सन्दर्भ में उक्त अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत राहत चाही है। उक्त तर्क के सन्दर्भ में अधिनियम कीं धारा 23 के प्रावधानो पर विचार करना उचित होगा। उक्त धारा 23 (1) निम्न प्रकार से है:–

23. कुछ परिस्थितियों में सम्पति का अन्तरण शून्य होगाः–(1) जहां किसी वरिष्ठ नागरिक ने जिसने इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात दान द्वारा या अन्यथा अपनी सम्पति का अन्तरण इस शर्त के अधीन किया है कि अन्तरिती अन्तरक को मूलभूत सुविधाओं और मूलभूत शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा और ऐसा अन्तरिति ऐसी सुविधाओ और शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने से ईन्कार करता है या असफल रहता है, वह सम्पति इस प्रकार उक्त अन्तरण कपट या प्रपीड़न द्वारा या असमयक असर के अधीन किया गया माना जाएगा और अन्तरक की वांछा पर अधिकरण द्वारा शून्य घोषित किया जायेगा।

चूंकि अपीलार्थी अपने पिता की वसीयत दिनांक 17.08.88 के आधार पर अहाता संख्या 482 प्राप्त होना बताकर उक्त अहाता संख्या 482 से रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को बेदखल करवाना चाहता है। इस धारा के तहत कोई सम्पति इस शर्त के अधीन अन्तरित होना आवश्यक है कि अन्तरिति, अन्तरक को मूलभूत सुविधांओ और शारिरिक आवश्यकतांओ को पूर्ण करेगा और ऐसी मूलभूत सुविधाओं और शारीरिक आवश्यकतांओ को पूर्ण करने में विफल रहेगा तो वहां सम्पति का, इस प्रकार उक्त अन्तरण कपट या प्रपीड़न द्वारा या असमयक असर के अधीन किया गया माना जाएगा और वहां अन्तरक की वांछा पर अधिकरण द्वारा शून्य घोषित किया जायेगा।

किन्तु इस मामले में उक्त विवादित अहाता संख्या 482 रेस्पों0 सं0 1 व 2 को किसी दस्तावेज के माध्यम से किसी भरण पोषण आदि की शर्त के अधीन अन्तरण नही किया गया है बल्कि अपीलार्थी के अनुसार रेस्पोडेन्टस ने नाजायज कब्जा कर रखा है। ऐसी दशा में उक्त अधिनियम की धारा 23 के तहत कार्यवाही नही की जा सकती। अपीलार्थी का मामला सिविल प्रकृति का है। रेस्पो0 सं0 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत जबाब के साथ उक्त प्लाट के विभाजन के संबंध में एक वाद सं0 146/2010 सुमित्रा बनाम ओमप्रकाश जिला न्यायाधीश श्रीगंगानगर के न्यायालय में विचाराधीन की प्रति पेश की है जिसमें अपीलार्थी माडूराम भी प्रतिवादी सं0 2 के रूप में पक्षकार है। ऐसी दशा में अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है और उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 20.10.2015 यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रति सहित पालना के लिए वापिस लौटाया जावे। आदेश की एक एक प्रति अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट को भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 07.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)

जिला मजिस्ट्रेट